राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 1652/2014/पाली

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन घट–प्रथम, पाली। .....अपीलार्थी

बनाम्

भारत आटोमोबाइल्स,
सूरजपोल, पाली। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से

श्री राजेन्द्र मेहता
अभिभाषक । .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 23.07.2015

निर्णय

1. अपीलार्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन घट–प्रथम, जिसे आगे कर निर्धारण अधिकार कहा जायेगा) द्वारा उक्त अपील अपीलीय अधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक **22.05.2014,** जो अपील संख्या 20/आर वैट/पाली/2013–2014 के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध पेश की गयी है तथा जिसमें अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत् आरोपित शास्ति रू.**25378/–** की मांग राशि की पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा किये जाने को विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक **01.11.2013** को मैसर्स विशाल गुड्स ट्रांसपोर्ट कम्पनी पाली के व्यवसाय फर्म पर रखे माल के दस्तावेजों की जांच पर बिल्टी संख्या **687908** नग 13 फगवाडा से पाली मारवाड मोटर ऑटो पाट्स के साथ संलग्न वैट–47 फार्म कालातीत होना पाया।जिसे अग्रिम जांच हेतु माल की डिलीवरी को निरूद्ध किया गया।कर निर्धारण अधिकारी ने वैट अधिनियम की धारा 76(2)(b) के अर्न्तगत आगे की कार्यवाही हेतु प्रकरण अन्य अधिकारी को स्थानान्तरण करने हेतु उपायुक्त (प्रशासन) पाली को दिनांक 01.11.2013 को पत्र लिखा गया। तत्पश्चात् उपायुक्त (प्रशासन) पाली ने अपने पत्र कंमाक 1163–1364 दिनांक 01.11.2013 के द्वारा पत्रावली कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित कर दी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु दिनांक 08. 11.2013 का नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक

लगातार.....2

01.11.2013 को ही प्रकरण का निस्तातरण करने हेतु निवेदन किया गया। व्यवसाय स्थल पर पाए गए माल के सम्बन्ध प्रस्तुत घोषण पत्र वैट 47 की जांच बाद कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अवधारित किया गया है कि प्रस्तुत धोषणा पत्र वैट 47 कालातित हो चुका है जिसे विभाग द्वारा दिनांक 06.03.2010 को जारी किया गया था। इस कारण कर निर्धारण अधिकारी ने वैट अधिनियम की धारा 76(2)(b) के उल्लंघन के कारण अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 25,378/ आरोपित की।उक्त आरोपित शास्ति के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपील का निस्तारण करते हुए आदेश दिनांक 22.05.2014 पारित कर आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.05.2014 से असंतुष्ट होकर यह अपील कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

4. अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से उप–राजकीय अभिभाषक ने अभिवाक् किया कि प्रकरण में यह पूर्णतः स्पष्ट है कि परिवहन के दौरान अधिसूचित माल क साथ घोषणा प्ररूप वैट–47 कालातीत होने के कारण अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् जो शास्ति आरोपित की है वह विधिसम्मत एवम् उचित है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतः अविधिक होने के कारण, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर कथन किया कि कालातीत घोषणा प्ररूप वैट–47 प्रस्तुत करना मात्र एक तकनीकी त्रुटि थी जिसके संबंध में शास्ति आरोपित की है, वह विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है । अपने उक्त कथन के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **120 एस. टी.सी. 212 मैसर्स महावीर चंद एण्ड सन्स, माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा अपील कमांक 2505/2011/चुरू निर्णय दिनांक 08.01.2013, मैसर्स नेवेयर इन्टरनेशनल लि., कोटा बनाम् सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, कोटा (2002) 1 आर.टी.आर. 149 निर्णय दिनांक 17.03.2002, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–द्वितीय, जोधपुर बनाम् मैसर्स जे.के.इण्डस्ट्रीज़, कांकरोली, राजसमंद (2002) 1 आर.टी.आर. 26 के प्रकरणें में हुये निर्णयों को प्रोद्धरित कर कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अवधि पार घोषणा प्ररूप की** प्रस्तुति को मात्र एक तकनीकी अनियमितता होना अवधारित किया है तथा उक्त विधिक स्थिति के

लगातार.....3

आलोक में, अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिक होने के कारण अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

6. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। प्रकरण में स्पष्ट है कि माल प्रभारी द्वारा वाहन में परिवहनित माल के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों के संलग्न घोषणा प्रपत्र वैट–47 प्रस्तुत किया गया था । माल के अन्य समस्त विहित दस्तावेज सही एवम् पूर्ण पाये गये थे । हस्तगत प्रकरण में विवादित बिन्दु पर माननीय कर बोर्ड द्वारा भी **सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–द्वितीय, जोधपुर बनाम् मैसर्स जे.के. इण्डस्ट्रीज़, कांकरोली, राजसमंद (2002) 1 आर.टी.आर. 26** के आलोक में अवधि पार घोषणा प्ररूप की प्रस्तुति को एक तकनीकी अनियमितता माना है । अतः इस आधार पर शास्ति का आरोपण अनुचित एवम् अविधिक है। अतः, इस संबंध में विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी व्यवहारी के तर्क विधिसम्मत एवम् उचित है। लिहाजा, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त बिन्दु के संबंध में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में, हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अतः उपर्युक्त वर्णित विधिक स्थिति के दृष्टिगत अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश कि पुष्टि की जाकर अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

7. परिणामतः, अपीलार्थी कर जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

8. निर्णय प्रसारित किया गया ।

23.7.2015

(मदन लाल)
सदस्य